

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर(म.प्र.)

क्रमांक : 987 / सांख्यिकी / 2024


मन्दसौर, दिनांक 10 / 04 / 2024

–संशोधित कार्य विभाजन आदेश–

मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 क्रमांक 774 दिनांक 22.12.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कार्य विभाजन पत्रक में आर्बीट्रेशन प्रकरणों के संबंध में प्रादेशिक अधिकारिता विलोपित कर निम्नानुसार संशोधित की जाती है –

अ.क्र	न्यायालय का नाम	प्रादेशिक अधिकारिता	स.क्र	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
1.	2.	3.	4.	5.
4A	द्वितीय जिला न्यायाधीश मन्दसौर	राजस्व तह सीतामऊ सुवासरा, 2	3	आर्बीट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।
5A	तृतीय जिला न्यायाधीश मन्दसौर	राजस्व तह दलौदा	3	आर्बीट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।
9E	प्रथम जिला न्यायाधीश मन्दसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मन्दसौर	राजस्व तह मन्दसौर	3	आर्बीट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।
6A	चतुर्थ जिला न्यायाधीश मन्दसौर	राजस्व तह मल्हारगढ़	3	आर्बीट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।


(श्रीमती रेणुका कंचन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मन्दसौर

पृ.क्रमांक 1190 / सांख्यिकी / 24

मन्दसौर, दिनांक 10 / 04 / 24

आदेशानुसार प्रतिलिपि –

- 1– श्रीमान समस्त जिला न्यायाधीश मन्दसौर
- 2– प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश मन्दसौर
- 3– श्रीमान अध्यक्ष अभिभाषक संघ मन्दसौर / नारायणगढ़ / सीतामऊ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।


प्रशासनिक अधिकारी
मन्दसौर